/

सं. 49014/2/2016-स्था.(ग) पार्ट

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*******

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 04 जुलाई, 2016

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषयः सेवा संबंधी मामलों में न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील/एसएलपी दायर करने में अत्यधिक विलंबः के संबंध में अनुदेश।**

अधोहस्ताक्षरी को परामर्श करने और अपील दायर करने के संबंध में अनुदेशों पर इस विभाग के दिनांक 16.03.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं.28027/01/2016-स्था.(क)-III (प्रति संलग्न) और दिनांक 1.5.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं.28027/9/99-स्था.(क) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भारत सरकार मुख्य रूप से अपील दायर करने में विलंब के कारण या सीमा समाप्त होने के कारण मुकदमा हार गई। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने विलंब के कारण एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया।

2. यह बार-बार कहा गया है कि न्यायालय मामले के प्रत्येक चरण में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना मूल रूप से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का दायित्व है। किसी भी कारण से मामले की कार्यवाही में इतना समय न लगे जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय की अवमानना हो। मंत्रालय या विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए और यदि कोई विलंब होता है तो उसका कारण तय किया जाना चाहिए और फाइल सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे चल रही मुकदमेबाजी में सावधानीपूर्वक निगरानी बनाए रखें ताकि किसी भी परिस्थिति में, किसी मामले में विलंब के कारण किसी मुकदमे में हार न हो।

(मुकेश चतुर्वेदी)

निदेशक (स्थापना)

दूरभाष:23093176

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।

प्रति:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप- राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।

6. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय।
10. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
11. सभी मंत्रालयों/विभागों के सीवीओ।
12. एडीजी(एमऐंडसी), प्रेस सूचना ब्यूरो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
13. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली (का.ज्ञा. और आदेश-स्थापना-विविध शीर्षक के अधीन इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाष:23093176